

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 267
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों का डिजीटलीकरण

267. श्री विनसेंट एच. पाला :
श्री जगदम्बिका पालः
श्री राजेन्द्र अग्रवालः
श्री रतन लाल कटारियाः

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सम्पूर्ण देश में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों के डिजीटलीकरण के द्वारा उनके संचालन हेतु ई-न्यायालय प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित उन न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जिनका डिजीटलीकरण किया जा चुका है और जो ऑनलाइन सुनवाई करने में भी सक्षम हैं ;

(ग) क्या कोविड जैसी स्थिति, जिसमें न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति संभव नहीं हैं, से निपटने के लिए सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों के डिजिटल बुनियादी ढांचे सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्वीकृत राशि और ई-कोर्ट मिशन परियोजना के कार्यान्वयन से अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का जिला न्यायालयों में नागरिकों को सस्ती, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए नई नीति लाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए देश में ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। ई-कोर्ट परियोजना को ई-समिति भारत के उच्चतम न्यायालय और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। ई- न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। परियोजना का चरण I 2011-2015 के दौरान लागू किया गया था। परियोजना का चरण II 2015 में आरम्भ हुआ, जिसके अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। न्यायालय परिसरों के कम्प्यूटरीकरण का विस्तृत ब्यौरा उपाबंध-I में उपाबद्ध किया गया है।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण II के दौरान तालुक स्तर की न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों में एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण प्रदान किए गए हैं और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीसी उपकरण के लिए निधि मंजूर की गई है। 2506 वीसी केबिन स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। अतिरिक्त 1500 वीसी अनुगम्यता प्राप्त किए गए हैं। वीसी सुविधाएं पहले से ही 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तटस्थानी जेलों के बीच सक्षम हैं।

(घ) : डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

वर्ष	मंजूर किया गया बजट	जारी किया गया बजट
2019-20	180	179.26
2020-21	180	179.31
2021-22	98.82	98.30
कुल	458.82	456.88

ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित पहलें की गई हैं -

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ संयोजकता प्रदान की गई है।

ii. मामला जानकारी सॉफ्टवेयर (सीआईएस) फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में जिला न्यायालयों में मामला जानकारी सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 कार्यान्वित किया जा रहा है और उच्च न्यायालयों के लिए मामला जानकारी राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 कार्यान्वित किया जा रहा है।

iii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी 21.99 करोड़ से अधिक मामलों और इन कम्प्यूटरीकृत (02.01.2023 तक) से संबंधित 20.10 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2020 में ओपन एपीआई की शुरुआत लंबित निगरानी और अनुपालन में सुधार के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंचने के लिए स्थानीय निकायों सहित केंद्रीय और राज्य सरकारों और संस्थागत वादकारियों को अनुमति देने के लिए की गई है।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31 अक्टूबर 2022 तक कुल 1.50 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक 18,407 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस

मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया है। जस्टआईएस मोबाइल ऐप अब आईओएस में भी उपलब्ध है।

v. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है। 21 वर्चुअल न्यायालयों में 1.32 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 32 लाख (3262303) से अधिक मामलों में 02.01.2023 तक 347.86 करोड़ रुपये से अधिक की ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है।

vi. भारत का उच्चतम न्यायालय 3,79,954 सुनवाई (लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के बाद से 24.12.2022 तक) आयोजित करके एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा। उच्च न्यायालयों (76,62,243 मामलों) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,68,47,529 मामलों) ने 24.12.2022 तक 2.24 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं भी समर्थ की गई हैं। 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए 2506 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण के लिए भी निधियाँ जारी किए गए हैं। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई हैं। 1732 दस्तावेज़ विजुअलाइज़र के उपापन के लिए 7.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

vii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। मसौदा ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं। 31.12.2022 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है

viii. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि को देय हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है। 22 उच्च न्यायालयों में 31.12.2022 तक न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ix. सम्मन देने और जारी करने की प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रेकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। यह वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया गया है।

x. एक नया "निर्णय खोज"पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय: दिन प्रति दिन, और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

xi. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 25 उच्च न्यायालयों में 39 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है, स्थापित किए गए हैं।

xii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और परिचित बनाने के लिए और "कौशल विभाजन" को संबोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें" पर वकीलों के लिए एक ब्रोशर अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ई-न्यायालय सेवाओं के नाम पर ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 5,13,080 पणधारक सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता भी हैं।

(ड): परियोजना का चरण II पूरा होने के करीब है और ई-न्यायालय चरण III के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण III में एक न्यायिक प्रणाली का उल्लेख है जो न्याय की तलाश करने वाले या भारत में न्याय वितरण का हिस्सा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सस्ती, सुलभ, लागत प्रभावी, अनुमानित, विश्वसनीय और पारदर्शी है। ई-न्यायालय चरण III की डीपीआर में विभिन्न नई विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जैसे कि डिजिटल और पेपरलेस न्यायालयों का उद्देश्य न्यायालय कार्यवाही को एक न्यायालय में डिजिटल प्रारूप के अधीन लाना; ऑनलाइन न्यायालय वादियों या वकीलों की न्यायालय में उपस्थिति को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है; यातायात उल्लंघनों के अधिनिर्णयन से परे आभासी न्यायालयों के दायरे का विस्तार; लंबित मामले के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके सबसेट जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग, भविष्य की मुकदमेबाजी का पूर्वानुमान आदि।

न्यायालयों के डिजिटलीकरण संबंधी लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 267 जिसका उत्तर 03/02/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

ई- न्यायालय चरण-II के अधीन न्यायालय परिसर और न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बॉम्बे	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	उड़ीसा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	कुल		3452	18735
